

श्री जगदीश पुत्र श्री राधाकिशन उम्र वयस्क जाति दरोगा निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला-अजमेर राज0

-----वादी

ब नाम

- 1- श्री गोपाल पुत्र श्री राधाकिशन उम्र वयस्क जाति दरोगा निवासी ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला-अजमेर राज0
- 2- उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालयस विजयनगर जिला-अजमेर राज0
- 3- राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय विजयनगर जिला-अजमेर
- 4- श्री संदीप पुत्र श्री चांदमल जी
- 5- श्री मुकेशकुमार पुत्र श्री पारसमल जी
जाति जैन निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

व धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2017 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार विजयनगर को पत्र क्रमांक 220 दिनांक 14.12.2017 को डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार विजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक 620 दिनांक 12.4.2018 को प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार संदीप पि0 चांदमल व मुकेशकुमार पुत्र पारसमल भी खातेदार है, जिन्हें भी पक्षकार बनाया जावे अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संदीप व मुकेशकुमार निवासी विजयनगर को पक्षकार बनाये जाने की आज्ञा प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार गोपाल, जगदीश पिसरान राधाकिशन दरोगा के द्वारा नामान्तरण संख्या 1564 दिनांक 20.6.2016 के अनुसार जरिये बेचान के द्वारा संदीप पि. चांदमल, मुकेशकुमार पि. पारसमल के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार विजयनगर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में भी संदीप पि. चांदमल, मुकेशकुमार पि. पारसमल जैन का खसरा नंबर 1157/221/3 रकबा 0.1138, 1159/222/3 रकबा 0.2098 का अंकन किया जाना पाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संदीप, मुकेशकुमार का बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारीत किया जाता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक विजयनगर तहसील विजयनगर में स्थित आराजियात खसरा नंबर 1157/221/1 रकबा 0.2602 हैक्टर एवं 1159/222/1 रकबा 0.4196 हैक्टर जगदीश पुत्र राधाकिशन दरोगा साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 1157/221/2 रकबा 0.1463 हैक्टर व खसरा नंबर 1159/222/2 रकबा 0.2098 हैक्टर गोपाल पुत्र राधाकिशन दरोगा साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 1157/221/3 रकबा 0.1138 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1159/222/3 रकबा 0.2098 हैक्टर संदीप पुत्र चांदमल, मुकेशकुमार पुत्र पारसमल जैन निवासी विजयनगर खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार विजयनगर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एवं लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम कर इन्द्राज करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/5/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

